न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)
दावा नम्बर - 03/2019

1. रामचरन पुत्र रमनलाल, जाति बाबाजी (स्वामी), निवासी चिरावल गुर्जर, तहसील- नगर, जिला भरतपुर (राज.) ---प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार साहब, तहसील -नगर , (भरतपुर) राज. ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित : अधिवक्ता श्री ललित अवस्थी

निर्णय

दिनांक:23.02.2021

(1.) प्रार्थी ने प्राथना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि आराजी खसरा नम्बर 240/0.58 वाके ग्राम जगड़का तहसील नगर प्रार्थी एवं प्रार्थी के बाबा प्यारे वल्द गिर्राज ने जरिये वयनामा दिनांक 21/06/1995 को रामहेत लाल पुत्र झज्जन, कौम ब्राह्मण साकिन मानौता खुर्द तहसील नगर से क्रय किया था जिसमें रजिस्ट्री लिखते समय डीडराइटर ने गलती से प्रार्थी रामचरन एवं प्रार्थी के बाबा प्यारे की जाति ब्राह्मण लिख दी थी जबकि प्रार्थी की जाति बाबाजी (स्वामी) हैं। जिसका पता प्रार्थी को हाल जमाबन्दी एंव खसरा गिरदावरी की नकल दिनांक 08/08/2019 को हल्का पटवारी लेने से हुई।यह है कि प्रार्थी के बाबा प्यारेलाल की मृत्यु से पूर्व प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है इस कारण से प्यारेलाल की आराजी का हिस्सा भी प्रार्थी के नाम आ गया है, जिसमें भी प्रार्थी की जाति ब्राह्मण दर्ज की गई है। जो गलत है जो गलती डीडराइटर द्वारा वयनामा में बाबाजी (स्वामी) के स्थान पर जाति ब्राह्मण दर्ज करने से हुई है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त करा पाने का मुश्तहैक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 240/0.58 वाके ग्राम जगड़का तहसील नगर पर प्रार्थी की जाति ब्राह्मण की कलमजन कर बाबाजी (स्वामी) दर्ज करने की आज्ञा तहसीलदार नगर को दी जावें।

(2.) दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि त्रुटि प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत अभिलेख हार हुई है।राज्य सरकार की तरफ से कोई त्रुटि नहीं की गई है। वादी के कथन अनुसार वादी की जाति बाबाजी (स्वामी) हैं जबकि राजस्व रिकार्ड में ब्राह्मण दर्ज है। इस हेतु वादी ने साक्ष्य पेश किये हैं। जो पत्रावली पर मौजूद है। इस बिन्दु को वादी न्यायालय में स्वयं साबित करें। वादी ने साक्ष्य में अपने पुत्र पुत्री का जाति प्रमाण पत्र पेश किया है जिनमें जाति स्वामी दर्ज है। वादी की जाति संबंधी दुरुस्ती से कोई राज्यहित प्रभावित नहीं होता है।

(3.) दौरान बहस अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा पत्रावली में सलंग्न जाति प्रमाण पत्रों पर प्रकाश डालते हुए कथन किया कि ये भी राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद संपूर्ण प्रक्रिया जारी किये गये है जो संदेह से परे है । इसी प्रकार इस तथा तथ्य पर भी विशेष जोर दिया कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी प्रार्थी की जाति बाबाजी (स्वामी) होने को प्रमाणित किया गया हैं। ग्राम में प्रचलित बोलते स्वरुप में स्वामी जाति के व्यक्तियों को बाबाजी भी कहा जाता है, इस कारण से प्रार्थी के दादा व परदादा की जाति भी पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बाबाजी अंकित रही है। यह भी कथन किया तत्समय के वयनामा दिनांक 21/06/1995 के विक्रेता तथा प्रार्थी के बाबा का भी अब देहान्त हो चुका है।

23.2.21

(4.) हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों को अध्ययन व अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। जिससे स्पष्ट हैं कि आराजी खसरा नम्बर 240/0.58 वाके ग्राम जगड़का तहसील नगर प्रार्थी एवं प्रार्थी के बाबा प्यारे वल्द गिर्राज ने जरिये वयनामा दिनांक 21/06/1995 को रामहेत लाल पुत्र झज्जन, कौम ब्राह्मण साकिन मानौता खुर्द तहसील नगर से क्रय किया था जिसमें प्रार्थी रामचरन एवं प्रार्थी के बाबा प्यारे की जाति ब्राह्मण लिखी गई है जिसके परिणामस्वरूप आगामी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति ब्राह्मण अंकित होकर चली आ रही है तथा जमाबन्दी स. 2075-78 के खाता संख्या - 154 में आराजी खसरा नम्बर 240/0.58 के लिए प्रार्थी की जाति ब्राह्मण दर्ज है। प्रस्तुत पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स. 2010-2013 में आराजी खसरा नम्बर 229 के लिए प्रार्थी के परदादा गिर्राज पुत्र बंशी की जाति बाबाजी अंकित रही है। इसी प्रकार जमाबन्दी स. 2064-67 में आराजी खसरा नम्बर 229 के लिए प्रार्थी के दादा प्यारे पुत्र गिर्राज की जाति बाबाजी अंकित रही है। इसी प्रकार प्यारे पुत्र गिर्राज द्वारा अपने पौत्र (प्रार्थी) के पक्ष में कियें गये दानपत्र दिनांक 12/12/2000 में भी जाति बाबाजी वर्णित की है। अर्थात ब्राह्मण अंकित नहीं हैं। प्रार्थी के पुत्र रवि कुमार स्वामी तथा पुत्री पुनम कुमारी के जाति प्रमाण पत्र की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गई है, इनमें इनकी जाति " स्वामी " अंकित है। ये जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा ऑनलाइन जारी किये हुए हैं। ग्राम पंचायत पेन्डका के लैटर पेड पर सरपंच द्वारा दिनांक 8/8/2019 को जारी इस आशय का पत्र जिसमें प्रार्थी की जाति ब्राह्मण न होकर बाबाजी (स्वामी) होना प्रमाणित किया गया है। बाबाजी कोई जाति विशेष नहीं है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उपयुक्त नहीं हैं और यह राजस्व प्रशासन का उत्तरदायित्व भी है कि राजस्व रिकार्ड को शुद्ध व अद्यतन रखा जावे। इस प्रकार प्रार्थी की जाति मुताबिक प्रार्थना पत्र दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(5.) अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 240/0.58 वाके ग्राम जगड़का तहसील नगर पर प्रार्थी की जाति ब्राह्मण को कलमजन कर स्वामी दर्ज किया जावें। निर्णय आज दिनांक२३.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.2.21

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)